



का.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters

पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002  
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002  
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in

स. एन-16/1/Odisha/2016-योववि

दिनांक:24.08.2022

**परिपत्र**  
**Circular**

**विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के कलाहांडी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी।**

**Sub: Implementation of ESI Act in the entire area of Kalahandi district in the State of Odisha.**


उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड-(II) में दिनांक 23.08.2022 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 3983(अ) दिनांक 23 अगस्त, 2022 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-23082022-238311)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत ओडिशा राज्य के कलाहांडी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.09.2022 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 3983(E) dated 23<sup>th</sup> August, 2022 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (II) on 23.08.2022 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-23082022-238311)

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in the entire area of Kalahandi district in the State of Odisha shall be effective from 01.09.2022.

संलग्न - यथोपरि

  
24.08.2022

(अखिलेश कुमार)

सहायक निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, ओडिशा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।